

न्यायालय:- व्यवहार न्यायाधीश वर्ग- 01 एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय,
चन्देरी जिला-अशोकनगर
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 75 / 2007

दांडिक प्रकरण क्र.-161 / 09

संस्थापित दिनांक-05.06.07

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।	
अभियोजन	
विरुद्ध	
01-रामसेवक पुत्र बहादुरसिंह काछी आयु 30 वर्ष निवासी घोसीपुरा न्यू कॉलोनी मुरार जिला ग्वालियरपूर्व से निर्णीत
02-महाराजसिंह पुत्र काशीराम राजपूत आयु 50 वर्ष निवासी कतियापुरा, ग्राम प्राणपुर, चंदेरी जिला अशोकनगर पूर्व से निर्णीत
03-महावीर पुत्र श्रीराम सिंह जादौन आयु 42 वर्ष निवासी 10 नंबर लाइन हजीरा, जिला ग्वालियरमृत
04-रामअख्तार पुत्र ग्याप्रसाद कुशवाह आयु 45 वर्ष निवासी घोसीपुरा, मुरार जिला ग्वालियरफरार
05-रामनिवास पुत्र ग्यायप्रसाद, काछी आयु 40 वर्ष निवासी घोसीपुरा, जिला ग्वालियर	
आरोपीगण	
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपी द्वारा	:- श्री के एन भार्गव अधिवक्ता।

—: निर्णय :—

(आज दिनांक 07.12.2017 को घोषित)

- 01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 456,323,34 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।
- 02— प्रकरण में कोई महत्वपूर्ण उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य नहीं है।
- 03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपी महाबीर फौत है एवं आरोपी रामअख्तार पूर्व से फरार है तथा आरोपी रामसेवक एवं महाराजसिंह के विरुद्ध पूर्व में निर्णय पारित हो चुका है। यह निर्णय रामनिवास के संबंध में पारित किया जा रहा है।
- 04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी आनंद कुमार ने दिनांक 11.05.06 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 11.05.06 को खाना खा—पीकर अपने मकान की छत पर अपनी पत्नी संध्या व बच्चों के साथ सो रहा था तभी करीब 01:45 बजे उसकी पत्नी संध्या पेशाब करने को उठी तो उसने देखा कि, छत पर 3—4 व्यक्ति खड़े थे। जब उसकी पत्नी चिल्लाई तो वह भी उठ गया तभी उनमें से एक व्यक्ति ने उसकी पत्नी के सिर पर पत्थर मार दिया जिससे उसकी पत्नी के सिर में चोट आ गई और खून निकल आया। फरियादीगण के चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसी रामचरण प्रजापति चिल्लाया तो चारों व्यक्ति छत से नीचे कूद गये। चारों व्यक्ति पेंट—शर्ट पहने थे व सामने आने पर फरियादी पहचान लेगा क्योंकि रोड की लाइट छत पर आ रही थी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 153/07 के अंतर्गत भादवि की धारा 456,323,34 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05— प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 456, 323, 323/34 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया।

06— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपी ने दिनांक 12.05.07 को ग्राम प्राणपुर में सूर्यास्त के पश्चात एवं अपनी उपस्थिति को छुपाते हुए प्रार्थी आनंदकुमार पुत्र कस्तूरचंद जैन की छत में चढ़कर एवं उनके चिल्लाने पर अनआशपित मार्ग जो मानव प्रवेश के लिए आशपित नहीं था, छत से कूदकर रात्रि प्रच्छन्न गृहभेदन किया ?
2. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय एवं घटना स्थल पर ही उपहति कारित करने के आशय से तुमने अथवा तुम मे से किसी एक ने पत्थर मार आहत संध्या जैन को स्वेच्छया उपहति कारित की ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

07— प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्वलित है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 एवं 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 आनंद कुमार, अ.सा.2 संध्या, अ.सा.3 डॉ एस पी सिद्धार्थ, अ.सा.4 श्रीमति रुबी की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 आनंद कुमार ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानता एवं पहचानता है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना के समय वह अपने घर की छत पर अपने परिवार के साथ सो रहा था और तब उसकी पत्नी की अचानक नींद खल गई एवं पास वाली छत पर पांच लोग बैठे हुए दिखे। उक्त साक्षी के अनुसार उसकी पत्नी ने उसे जगाया और जैसे ही वह उठा तो पांचो लोगो ने उसे अवैध कटटा

अडा दिया तथा किसी हथियार से उसकी पत्नी पर हमला किया। अ.सा.1 के अनुसार उसके चिल्लाने पर पड़ोसी रामचरण ने साहस बनाया तो पांचों लोग भाग गये फिर उसने घटना की रिपोर्ट प्र0पी01 लेखवद्ध कराई। उक्त साक्षी के अनुसार प्र0पी02 की लिखापट्टी उसके समक्ष हुई थी तथा शिनाख्ती पंचनामा प्र0पी03 की कार्यवाही उसके समक्ष हुई थी जिसके बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। उक्त साक्षी के अनुसार पहचान की कार्यवाही में आरोपी रामनिवास भी उपस्थित था जिन्हें उनसे कार्यवाही में पहचान लिया था। उक्त साक्षी के अनुसार वह आरोपी को मौके से पहचानने लगा था। उक्त साक्षी के अनुसार उसकी पत्नी ने एक आरोपी की तौलिया खींच दिया था जिससे उसने उसे पहचान लिया था।

09— अ.सा.2 संध्या तथा अ.सा.4 रूबी दोनों ने अपने कथन में बताया है कि ६ टना दिनांक को जब वे लोग छत पर सो रहे थे तब पांच अज्ञात लोग उनकी छत पर आ गये थे तथा उनके चिल्लाने पर पड़ोस में रहने वाले रामचरण आ गये थे। अ.सा.2 के अनुसार पुलिस ने प्र0पी03 की कार्यवाही करवाई थी जिसमें उसने आरोपी रामनिवास को पहचान लिया था। इसी प्रकार अ.सा.4 के अनुसार एक व्यक्ति ने उसकी मां को किसी वस्तु से मारा था जिससे उनके सिर में चोट आई थी। अ.सा.2 के अनुसार उसी ने पांचों व्यक्तियों को देखा था। अ.सा.2 के अनुसार उसे एक व्यक्ति ने सिर पर मारा था जिससे उसे चोट आई थी। अ.सा.3 डॉ एस पी सिद्धार्थ द्वारा अपने कथन में बताया गया है कि दिनांक 12.05.07 को उनके द्वारा आहत संध्या का मेडिकल परीक्षण किया गया था जिसकी रिपोर्ट प्र0पी04 है। उक्त रिपोर्ट अनुसार आहत के सिर पर चोट आई थी।

10— अ.सा.3 की साक्ष्य से यह प्रमाणित हो रहा है कि उक्त घटना दिनांक को आहत संध्या के सिर पर चोट आई थी। इस प्रकार अ.सा.1, अ.सा.2 एवं अ.सा.4 की साक्ष्य की संपुष्टि अ.सा.3 की साक्ष्य से हो रही है। उक्त सभी साक्षीगण ने अपने कथन में स्पष्टरूप से बताया है कि उक्त घटना दिनांक को एक व्यक्ति द्वारा आहत संध्या के

सिर पर किसी वस्तु से मारा गया था जिससे उसे चोट आई थी। इस प्रकार अ.सा.3 ने यह प्रमाणित किया है कि उक्त घटना दिनांक को आहत संध्या को चोट आई थी। अ.सा.1, अ.सा.2 एवं अ.सा.4 की साक्ष्य से यह प्रमाणित हो रहा है कि उक्त घटना दिनांक को अज्ञात व्यक्ति रात्रि में उनके घर में घुसे थे। अ.सा.1 एवं अ.सा.2 ने शिनाख्ती पंचनामा प्र0पी03 की कार्यवाही को प्रमाणित किया हैं। उक्त दोनो साक्षीगण ने अपने कथन में बताया है कि उन्होंने आरोपी रामनिवास को पहचान की कार्यवाही के समय पहचान लिया था। दोनो साक्षीगण घटना के चक्षुदर्शी साक्षी है तथा उनके द्वारा स्पष्टरूप से कथन किया गया है कि उन्होंने आरोपी रामनिवास को पहचाना था तथा वही घटना स्थल पर अन्य आरोपीगण के साथ उपस्थित था।

11— अभियोजन द्वारा अभिलेख पर जो साक्ष्य प्रस्तुत की गई है उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी रामनिवास अन्य आरोपीगण के साथ फरियादी के घर में रात्रि में घुसा था तथा उक्त आरोपीगण में से किसी आरोपी ने आहत संध्या के सिर पर मारा था जिससे आहत संध्या को चोट आई थी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी सामान्य आशय के अग्रसरण में रात्रि में फरियादी के घर में घुसा था तथा आहत संध्या को सामान्य आशय के अग्रसरण में मारकर उपहति कारित की गई। उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी रामनिवास फरियादी के घर में रात्रि में घुसा था तथा उसके द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत संध्या को मारकर उपहति कारित की गई।

12— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में सफल रहा है। परिणामतः आरोपी को भादवि की धारा 323/34, 456 के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है।

13— आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। आरोपी एवं उनके अधिवक्ता

को दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया गया।

(जफर इकबाल)
व्य० न्याया० वर्ग-01 एवं न्यायाधिकारी
ग्राम न्यायालय, चंदेरी

पुनश्च:-

14- आरोपी के विद्वान अधिवक्ता श्री के एन भार्गव का निवेदन है कि उक्त अपराध आरोपी का प्रथम अपराध है और उनका कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड नहीं है। अतः उनका निवेदन है कि आरोपी को परिवीक्षा का लाभ देकर छोड़ दिया जावे। प्रकरण में स्पष्ट है कि आरोपी द्वारा उक्त अपराध आरोपी द्वारा कारित किया गया है। आरोपी द्वारा फरियादी के घर में रात्रि में प्रवेश कर कारित किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण गंभीर प्रकृति का है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यदि आरोपी को परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है तो उसका गलत संदेश समाज में जाने की संभावना है। अतः ऐसी स्थिति में आरोपी को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 एवं 4 का लाभ दिया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता।

15- जहां तक दण्ड का प्रश्न है तो निश्चित रूप से आरोपी को ऐसे दंडादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें भविष्य में ऐसे अपराध से रोके और साथ ही उनके लिए शिक्षाप्रद हो। आरोपी को ऐसे दण्डादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें न केवल विधिक प्रक्रिया के प्रति गंभीर करे, बल्कि उन्हें यह भी बोध हो कि यदि किसी के द्वारा किसी के घर में रात्रि में घर में प्रवेश कर कोई अपराध कारित किया जाता है तो ऐसी दशा में उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में आरोपी को भा.द.वि. की धारा 456 के अपराध में 06 माह के साधारण कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के

व्यतिक्रम में आरोपी 15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेंगे। आरोपी को भा. द.वि. की धारा 323/34 के अपराध में 01 माह के साधारण कारावास एवं 200 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपी 07 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेंगा। उक्त दोनो दंडादेश एक साथ भुगताए जाएंगे। उक्त दंडादेश आरोपी द्वारा पूर्व में भुगताये गए कारावास से समायोजित किया जावे। प्रकरण में अभियोजन की ओर से क्षतिपूर्ति के संबंध में कोई तर्क नहीं किया गया और अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य भी नहीं आई है, जिससे कि फरियादी को क्षतिपूर्ति दिलाया जाना समीचीन प्रतीत होता हो।

16— आरोपी के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

17— प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं है।

18— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

19— आरोपी का सजा वारंट तैयार किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)
व्य0 न्याया0 वर्ग-01 एवं न्यायाधिकारी
ग्राम न्यायालय, चंदेरी

(जफर इकबाल)
व्य0 न्याया0 वर्ग-01 एवं न्यायाधिकारी
ग्राम न्यायालय, चंदेरी